

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र

डाकघर/PO: केट/CAT  
इंदौर/Indore – 452 013

संदर्भ: 14/05/2020-सामा/2422

मार्च 20 2020

विषय : नवीन कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के बचाव उपाय

दिनांक 18.03.2020 को जारी किए गए परिपत्र संख्या 14/05/2020-सामा/629 के तारतम्य में एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.03.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/9/2014-स्था(ए-III) जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग ने दिनांक 19.03.2020 के प्रष्ठांकन संख्या 16/06/2020-एससीएस/3901 द्वारा पृष्ठांकित किया है, के अनुसार आरआरकेट में निम्नलिखित अतिरिक्त सावधानी उपाय तुरंत प्रभाव से लागू किए जाते हैं :

- i. समूह बी एवं समूह सी दोनों को मिलाकर केवल 50 प्रतिशत स्टाँफ (संलग्न रोस्टर के अनुसार) ही प्रत्येक दिन कार्यालय में उपस्थित रहेगा तथा शेष 50 प्रतिशत स्टाँफ अपने घर से ही कार्य संपादित करेगा ।
  - ii. उपरोक्त रोस्टर 04.04.2020 अथवा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा ।
  - iii. उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19.03.2020 के अनुसार आगम एवं निर्गम द्वारों पर भीड को एक जगह पर एकत्रित होने से रोकने के लिए प्रत्येक प्रभाग प्रमुख द्वारा रोस्टर में अपने अधीनस्थ कार्यरत स्टाँफ को परिवर्तनिय कार्यअवधि दी जाएगी ।
  - iv. ऐसे सभी कर्मचारी जिन्हें घर से कार्य संपादित करने हेतु निदेशित किया गया है वे आज ही कार्यालय छोड़ने से पूर्व अपने दूरभाष, मोबाईल नम्बर तथा व्यक्तिगत ईमेल पता लिखित में अपने प्रभारी अधिकारी/रिपोर्टिंग ऑफिसर तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को सूचित करेंगे ।
2. उपरोक्त दिशानिर्देश अग्नि एवं संरक्षा, सुरक्षा तथा चिकित्सा इत्यादि सेवाओं में कार्यरत स्टाँफ पर लागू नहीं होंगे ।
  3. ऐसे सभी कर्मचारी जिन्हें घर से कार्य संपादित करने हेतु निदेशित किया गया है वे हर समय अपने घर पर ही उपलब्ध रहेंगे । वे सभी यह नोट करें कि उपरोक्त समस्त उपाय COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु लिए किए जा रहे हैं और इसलिए सभी कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी संरक्षा हेतु इन निर्देशों को सही अर्थों में लिया जाना चाहिए ।

अविरत..2

..2..

4. तकनिकी क्षेत्र में कैंटिन तथा टी-पेंटी की सेवाएं दिनांक 21.03.2020 से आगामी आदेशों तक बंद रहेंगी ।
5. उपरोक्त दिशा निर्देशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध जिला कलेक्टर, इन्दौर द्वारा दिनांक 18.03.2020 को जारी आदेश संख्या 501/री.ए.डी.एम./2020 तथा केंद्रीय कर्मचारी सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

इस अप्रत्याशित आपदा से सकुशल निकलने हेतु केन्द्र के प्रत्येक स्टाँफ सदस्य से शर्तरहित समर्थन एवं सहयोग की अपेक्षा है ।

इसे निदेशक, आरआरकेट के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

शैलजा प्रकाशम्  
20/3/2020  
( श्रीमती शैलजा प्रकाशम् )  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सभी कर्मचारीगण मेलऑल के माध्यम से

एस.सी.आर. सदस्यगण

सूचना हेतु प्रतिलिपि :-

1. निदेशक कार्यालय, आरआरकेट
2. सभी समूह निदेशक
3. सभी प्रमुख, अनुभाग/प्रयोगशाला, आरआरकेट
4. प्रशासनिक अधिकारी एवं समस्त सहायक कार्मिक अधिकारी
5. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, आरआरकेट
6. उप कमांडेंट, सीआईएसएफ, आरआरकेट
7. प्रभारी, चिकित्सा केन्द्र, आरआरकेट

Government of India  
Department of Atomic Energy  
Raja Ramanna Centre for Advanced Technology

PO: CAT,  
Indore – 452013

Ref. 14/05/2020/GAC/2422

March 20, 2020

**Sub: Preventive measures to contain the spread of COVID-19.**

In continuation to the Circular no. 14/05/2020/GAC/629 dated 18.03.2020, it is hereby informed that in accordance with the directions issued by DoPT vide OM No. 11013/9/2014-Estt(A-III) dated 19.03.2020 duly endorsed by DAE vide Endorsement No. 16/6/2020-SCS/3901 dated 19.03.2020, the following additional precautionary measures are to be implemented in RRCAT with immediate effect.


- (i) Only 50% of Group B & C staff taken together (as per the attached roster) shall attend the office every day and remaining 50% will work from home.
  - (ii) These rosters will remain in force till April 04, 2020 or till further orders.
  - (iii) In order to avoid crowding at the gate during entry and exit, the timings will be staggered by the respective Division Head for their staff members in the roster as per the above referred OM dated 19.03.2020.
  - (iv) All officials who are required to work from home shall intimate in writing their landline, mobile numbers and personal email addresses to the Officer-in-Charge/Reporting Officer with a copy to CAO before leaving office today. They may be called anytime during office hours to attend office in case of any exigency of work.
2. These directives are not applicable to staff engaged in Fire & Safety, Security and medical.
  3. All staff members working from home are directed to be available at their homes. It is emphasised that these steps are absolutely necessary to prevent spread of COVID-19 and therefore, it should be taken in the right spirit for safety of all employees and their family members.

Contd...2

4. Canteen services in the technical area including tea pantries will remain closed from 21.03.2020 until further orders.
5. Any violation of the above directives will attract strict action as per order no. 501/री.ए.डी.एम/२०२० dated 18.03.2020 issued by District Collector, Indore. and provisions contained in CCS Conduct Rules 1964.

Unconditional support and cooperation from each and every member of the centre is requested to come out unscathed in this unprecedented threat of COVID-19.

This is issued with the approval of Director, RRCAT.

  
( Smt. Shailaja Prakasam )  
Chief Administrative Officer

All officials through mailall.

S.C.R. Members.

Copy for information to:-

1. Office of Director, RRCAT
2. All Group Directors, RRCAT
3. All Heads of Sections/Labs, RRCAT
4. AO-III and All APOs, RRCAT
5. DCSO, RRCAT
6. Dy. Commandant, CISF Unit, RRCAT
7. Incharge, RRCAT Medical Centre